न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 30 / 2024 बउनवानी लल्यो बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर पुत्र श्री नानगा हरिजन निवासी हरिजन बस्ती मलारना डूँगर

GCMS No-2024/72

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
10.7.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 9.4.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

प्रार्थी के पिता स्व0 श्री नानगा हरिजन पुत्र श्री भूरा महत्तर निवासी मलारना डूँगर सवाईमाधोपुर के नाम कमाण्डैड ऐरिया मे अलोटमेंट भूमि सन् 1971 अनुसार क्रमांक 176 दिनांक 2.7.1972 को हुई थी। उक्त अलोटमेंट भूमि का प्रार्थी के पिता के नाम से नामा0 कब तक खोलेगें की जानकारी।

1. प्रार्थी के पिता की भूमि को प्रार्थी के नाम नामा0 कब तक खोलेगें की सूचना देवे।
2. आवंटित भूमि कहॉ पर स्थित है तथा इस जमीन की पेलेन्टी की काटी गयी रसीद की सूचना।
3. इस अलोटमेंट के प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ किन्तु प्रार्थना पत्र के साथ पेनल्टी की रसीदे जो कि अपठनीय है भिजवायी गयी है। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः रीडर / सू0अधि0 / 2024 / 229 दिनांक 5.7.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 9.4.2024 मे चाही गयी सूचना का संबंध तहसीलदार मलारना डूँगर से है एवं चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने एवं चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण दिया जाना सम्भव नही होने के कारण तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा जरिये पत्रांक 1202 दिनांक 1.5.2024 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। यह भी तर्क दिया प्रार्थी के पिता नानगा पुत्र भूरा हरिजन के नाम राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज नही होने के कारण प्रार्थी के पिता के नाम नामा0 खुलवाया जाना सम्भव नही है। यह है कि आवंटन वर्ष 1971 के समय तथा इससे पूर्व के खसरा परिवर्तन (पी–14) के अनुसार ग्राम मलारना डूँगर के ख0न0 1491 मे धारा 91 की रिपोर्ट का इन्द्राज नही होने के कारण रसीद की प्रति दिया जाना सम्भव नही है। जिसके संबंध मे अपीलान्ट को तहसीलदार मलारना डूँगर के पत्रांक 2162 दिनांक 2.7.2024 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 9.4.2024 मे चाही गयी सूचना का संबंध मे तहसीलदार मलारना डूँगर के कार्यालय से है किन्तु चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने एवं चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण दिया जाना आवश्यक नही है तथा तहसीलदार मलारना डूँगर की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड मे भूमि दर्ज नही होने के कारण भी उक्त सूचना दिया जाना सम्भव नही है जिसके संबंध मे अपीलान्ट को तहसीलदार मलारना डूँगर के पत्रांक 2162 दिनांक 2.7.2024 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:18:39 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner